''राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़'' का पुनर्गठन दिनांक 7 जनवरी, 2001 को किया गया। पुनर्गठन पश्चात् आयोग अपने दायित्वों को निम्नानुसार निर्धारित करता है।

आयोग के दायित्व

(1) राज्य के आर्थिक एवं मानव संसाधनों का मूल्यांकन कर उनके सर्वाधिक प्रभावी उपयोग एवं राज्य के समस्त क्षेत्रों के संतुलित विकास के उपाय सुझाना।

(2) सतत् संपोषणीय विकास (SDG) तथा ''जन घोषणा पत्र'' के उद्देश्यों एवं ''इंटर–जनरेशनल इक्विटी'' के सिद्वांत को केन्द्र में रखकर योजना निर्माण के संदर्भ में विभागों को सुझाव देना।

(3) विकेन्द्रीयकृत योजना (Decentralized Planning) निर्माण, समीक्षा एवं इन योजनाओं के आधार पर संसाधन वितरण की प्राथमिकता निर्धारण करने के लिए राज्य शासन को समय–समय पर सुझाव देना।

(4) शासन द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की आवश्यकतानुसार समीक्षा एवं मूल्यांकन (Evaluation) करना तथा उनमें सुधार के संबंध में शासन को सुझाव देना।

(5) विभिन्न सेक्टर्स में राज्य के विकास के लिये उपयोगी निदानात्मक/विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रायोजित करना एवं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल पाई गई नीतियों व Best Practices का अध्ययन कर राज्य में लागू किये जाने के संदर्भ में राय देना।

(6) नवाचारों का अध्ययन कर प्रोत्साहित करने हेतु शासन को सुझाव देना।

(7) शासन एवं शासनेत्तर विषयों पर राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनायी जा रही नीतियों का अध्ययन करना व राज्य के लिये नीति नेतृत्व (Policy Lead) प्रदान करते हुये Think Tank के रूप में कार्य करना।

(8) समय–समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अध्यक्ष, राज्य योजना आयोग द्वारा प्रदत्त अन्य कार्यो को संपादित करना।

...